FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर	अणन्ती देवी प्र पेमाराम कुम्हार इगरपुर वगैरह

किस्म मुकदमा प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957

प्रार्थना–पत्र नम्बर 298/2021 GCMS No. 2021/ 395

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.08.2021	राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली दिनॉक 27.08.2021 को वास्ते सुनवाई/उचित आदेशार्थ पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
27/8/2021	पत्रावली पेश हुई आज अवकाश उपखण्ड अधिकारी [illegible] कार्यालय से बाहर पड़ा है। अतः पत्रावली दिनांक 01.10.2021 को पेश हो।	
01.10.2021	पत्रावली पेश हुई प्रकरण का अवलोकन किया गया। लम्बित प्रार्थना पत्र की तहसील नहीं है पालिका-कानून/4.3 (17) शा-6/2021/फाई/91, जयपुर, दिनांक 30-9, 2021 अनुसार फाई विभिन्न की पालिका में प्रवाह नहीं रहा है अतः प्रार्थना [illegible] योग्य है अतः प्रार्थना पत्र [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:11:44 IST
Reason: SelfAttested